Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-13, Issue-2, September-2019
Impact Factor:4.081
www.researchguru.net

महिला सशक्तिकरण में गांधी की भूमिका

भारती पटेल

शोधार्थी इतिहास विभाग डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर Email ID- bhartipatel2493@gmail.com

सारांश – *२०वीं सदी भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों की सदी रही हैं और इस सदी ने ही भारत को गाँधी जैसा व्यक्तित्व प्रदान किया। जिसने अपने भारत आगमन के साथ ही न सिर्फ देश का भ्रमण कर यहां की परिस्थितियों को जाना व समझा बल्कि देश की आधी आबादी (महिलाओं) की दीन हीन स्थिति को भी अच्छी तरह समझा एवं उनके महत्व को समझते हुए पुरूषों के समकक्ष लाने हेतु सुझाव दिये। उन्होने न सिर्फ सुझाव दिये बल्कि सीता, द्रोपदी आदि की भाँति अपने आप को सशक्त रहने का रास्ता दिखाया। महिलाओं के जुझारूपन एवं त्याग की भावना को देखते हुए उन्हे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया साथ ही हथकरघा के माध्यम से रोजगार प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। उन्होने पूर्व समाज सुधारकों के कार्य को न सिर्फ लेखन के माध्यम से बल्कि अपने कार्यो द्वारा भी महिलाओं को मुख्य पटल पर लाकर संपन्न किया।*

कुंजी शब्द – *सशक्त, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आंदोलन, आत्मनिर्भर, आबादी।*

२०वीं सदी भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों की रही है और इसी सदी में १९१५ मे महात्मा गाँधी का भारत मे पदार्पण हुआ। गाँधी के भारत आगमन के साथ ही भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती हैं और इस संपूर्ण काल को गाँधीवादी युग की संज्ञा दी जाती है। भारत पदार्पण के साथ ही वे भारतीय समाज व राजनीति की संपूर्ण स्थिति को समझते है व स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरूआत करते हैं। उन्होने देश की स्थिति जानने के साथ ही महिलाओ की स्थिति का भी आकलन किया। महात्मा गाँधी ने नारियों की स्थिति सुधारने का विशेष प्रयास किया। विनोवा भावे ने कहा है कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति में श्रीकृष्ण, महावीर और गाँधी इन्ही तीन महापुरूषों ने स्त्री जाति को वह मान सम्मान दिया जिसकी वे अधिकारिणी थी। राष्ट्रीय आंदोलनों गाँधी महिलाओं को भारतीय पटल पर उभारकर लाते हैं व इसी के साथ ही २० वीं सदी का गाँधी युगीन महिला सशक्तिकरण प्रारंभ होता है। भारत में महिला सशक्तिकरण या समाज सुधार के अंतर्गत महिलाओं की समाजिक दशाओं में सुधार के प्रयास १९ वीं सदी से ही प्रारंभ हो चुके थे। इस समय के समाज सुधारकों में राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, डी. के. कर्वे, स्वामी विवेकानंद आदि ने महिलाओं के उद्धार के प्रति जनचेतना उत्पन्न की थी। गाँधीजी ने इस जनचेतना को नया उत्साह एवं स्फूर्ति प्रदान की।

उनके सत्य अहिंसा पर आधारित जीवन दर्शन में किसी प्रकार के भेदभाव व ऊँच नींच के लिये कोई स्थान नहीं हैं। गाँधी द्वारा चलाये गये स्वतंत्रता आंदोलन में सत्य व अहिंसा पर बल दिया गया था अतः उन्होने अहिंसा की प्रतिमूर्ति महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित किया। उन्होनें महिलाओं की सहनशीलता व जुझारू क्षमता को अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही समझ लिया था।

गाँधी महिलाओं की अहिंसक, सहिष्णु, एवं आत्मपीडक छवि की प्रशंसा करते है साथ ही इन गुणों को मानवोचित मानतें है। महिलाओं के इन गुणों का प्रयोग वे अहिंसक आंदोलनों में करते है। 'अहिंसक युद्ध व्यापक कष्ट सहने की माँग करता है स्त्री से अधिक पीडा कौन सह सकता है। उन्होनें देखा कि मुल्क उनसे घर संभालने से अधिक बडी चीज माँग रहा है।'[१] १९२१ मे गाँधी जी ने कहा, 'पुरूषों की नजरों में महिलायें कमजोर नहीं है वरन् दोनों लिंगो में ज्यादा श्रेष्ठ इसलिये हें कि आज भी वे त्याग, खामोशी, पीड़ा, नम्रता, विश्वास एवं ज्ञान की साक्षात् प्रतिमा हैं।[२]

गाँधी ने स्त्री पुरूष में लैंगिक समानता की बात कही हैं। दोनो के परस्पर सक्रिय सहयोग के बिना दोनो का अस्तित्व असंभव हैं। मानव सृष्टि एवं विकास के लिये दोनों का महत्व बिलकुल बराबर हैं। महिलाओं में आत्मजाग्रति एवं आत्मचेतना के लिये शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया। उनका मानना था कि महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिये स्वयं ही प्रयास करने होंगे। महिलाओं की गुलामी और शोषण के खिलाफ उन्होने कई व्यवहारिक कदम उठाये। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में उनका विचार था कि स्त्रियों की स्वरोजगार योजनाओं के तहत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये जिससे वे अपने पैरों पर खडी हो सकें।[३]

गाँधी ने कहा की महिला नेताओं को सीता, द्रोपदी और दमयंती की तरह सात्विक दृढ़ और नियंत्रित होना चाहिये तभी वह स्त्रियों के भीतर पुरूषों के साथ बराबरी का भाव जगा सकेगी। साथ ही मुक्ति का रास्ता दिखाते हुए उनके अपने क्षेत्र में उनको शीर्ष स्थान दिला सकेगी।[४] स्त्री पुरूष की सहचरी है, उसकी मानसिक क्षमतायें पुरूष के बराबर है। पुरूष के छोटे से छोटे कार्यकलाप में भाग लेने का उसे अधिकार है और जितनी स्वाधीनता और आजादी का हकदार पुरूष है, उतनी ही हकदार स्त्री भी है।[५] गाँधीजी ने अन्य सांस्कृतिक नेताओं की भांति घोषणा की कि स्मृतियों के बारे में जो कुछ कहा गया है, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। बाल विवाह विधवाओं पर अनेक तरह के

बंधन आदि स्मृतियों के निर्देशों के कारण हो रहा था। स्त्रियों को शूद्र कोटि में रखने के कारण हिंदु समाज को अपार क्षति हुई हैं। गाँधी का विचार था कि अपने क्षेत्र में पुरूष जितनी उन्नति कर सकता है उतनी ही उन्नति महिला भी अपने विशिष्ट क्षेत्र में कर सकती है।[६] पुरूष को चाहिये कि स्त्री को उचित स्थान देना सीखे, जिस देश अथवा समुदाय में स्त्री का आदर नहीं होता, उसे सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता।[७]

स्मृतिकारों ने जो कुछ महिलाओं के बारे में लिखा है उसका सर्वथा समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि इन ग्रंथो बताये गये नियमों कानूनों के माध्यम से पुरूषों ने महिलाओं को वर्षों से दबाया है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं के साथ वर्षों से हो रहे अन्याय को समाप्त करने के लिये इनमें संशोधन किये जायें, तभी हमारे देश की महिलाएं सीता, द्रोपदी, दमयंती की तरह निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। स्मृतियों मे जहां महिलाओ को पुरूषो के अधीन रहने की बात कही गयी है गाँधी ठीक इसके विपरीत स्त्री पुरूष समानता की बात करते है और कहते है कि स्त्री पुरूष की सहधर्मिणी और मित्र है।

वे महिलाओं की निजि इज्जत एवं स्वयत्ता के समर्थक थे। वे मानते थे कि महिला का अपने पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। साथ ही वे अपना यह अधिकर अपने पति को भी समर्पित न करें। महिलायें यह सीखे की वे अपनी इच्छा के विरूद्ध कुछ भी न करे उसे अपने पति या किसी को भी न कहना आना चाहिए। उन्होने महिलाओं के अवमानना करने के अधिकार को सहमति प्रदान की। गाँधी की नजरों मे आदर्श स्त्री वह थी जो अपनी काम भावना पर नियंत्रण रखे। वे उसकी पवित्रता पर टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति के समर्थक नही थे।

भारत देश में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान रही है और आज भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल जाती है। गाँधी ने धर्म के नाम पर होने वाले बाल विवाह एवं सती प्रथा की भर्त्सना की। वे शादी की न्यूनतम उम्र १६ या १८ वर्ष करने के समर्थक थे। जिससे बाल विधवाओं की संख्या में कमी की जा सके। वे विधवा पुनर्विवाह के हिमायती थे। उन्होने बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। साथ ही स्वेच्छा पूर्वक अपनाये गये वैधव्य को वे एक महान सामाजिक संपदा मानते थे। उनका मानना था कि पुर्विवाह करने का जितना अधिकार पुरूषों को है उतना ही अधिकार एक विधवा को भी है। मजबूरन पाला गया वैधव्य वृत अभिशाप स्वरूप है।[८]

गाँधी ने दहेज प्रथा की सर्वथा निंदा की है। उन्होने कहा कोई भी युवक जो दहेज को विवाह की शर्त बनाता है, अपनी शिक्षा को कलंकित करता है, अपने देश को कलंकित करता है और नारी जाति का अपमान करता है।.....दहेज की इस नीचे गिरानेवाली प्रथा के खिलाफ लोकमत पैदा करना चाहिए, और जो युवक इस पाप के सोने से अपने हाथ गंदे करते है उनका समाज से बहिस्कार किया जाना चाहिए।[९] वे दहेज माँगने वाले पुरूषों से विवाह करने से अच्छा लड़कियों का सारा जीवन कुंवारा रहना पसंद करते थे।[१०] गाँधी का मानना था कि जब तक विवाह का क्षेत्र सीमित होगा अर्थात् जाति विशेष के कुछ सौ युवा लड़के लड़कियों तक सीमित होगा दहेज प्रथा कायम रहेगी, भले ही इसके विरोध में कितनी ही आवाज क्यों न उठाई जाये। अतः इस प्रथा के उन्मूलन हेतु जाति बंधन तोड़ने होंगे।

महिला अधिकारो के वे हितायती थे। महिला अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। उनके साथ पूरी समानता होनी चाहिये।[११]

गाँधी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे पर वे अक्षर ज्ञान के अलावा व्यवहारिक शिक्ष को ज्यादा महत्व देते थे। उन्होनें कहा हम स्त्रियों को शिक्षा दिये बगैर भी भली भाँति समझा सकते है कि उनकी वर्तमान अवस्था कितनी सोचनीय है। स्त्री को पुरूष के समान समानता, स्वधीनता और स्वतंत्रता पाने का अधिकार है।[१२]

१९२० ई. तक गाँधी का व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में काफी बडा हो गया था। अपने लेखों के माध्यम से उन्होने महिलाओं को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिये प्रेरित किया। उन्होने कहा 'मै तुमसे बड़ी आशायें करता हुँ। मुझे आशा है कि महिलायें इस आंदोलन में पूरा भाग लेगी। सरकार हमारे हर सैनिकों को पकड़े तो पकड़ ले मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारा कार्य इतना आसान है कि महिलायें बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ा सकती है।[१३] गाँधी के विचारों ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिये सक्रिय रूप से प्रेरित किया। देश की लाखों स्त्रियों ने नमक बनाना तथा नमक कानून को तोडना शुरू किया। कस्तूरबा गाँधी ने आजीवन उनकी सहचरी के रूप में कार्य किया। इनके अतिरिक्त कमलादेवी चट्टोपाध्याय, विजयालक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, ए. वी. कुट्टिमालु अम्मा, सरोजनी नायडु १९१४ में गाँधी से मुलाकात के बाद उनकी सहयोगी बनी। नमक सत्यागृह के समय धरासणा स्थल पर नमक बनाकर नमक कानून को तोडा। राजकुमारी अमृत कौर जलियावाला हत्याकाण्ड के बाद गाँधीजी से मिलती है व १९३४ से उनके साथ आश्रम में रहने लगती है। दुर्गाबाई देशमुख गाँधी से प्रभावित थी वे नमक सत्याग्रह हेतु एक सेवादल के साथ चेन्नई गयी जहां वे गिरफ्तार हो गयी। एस. अम्बुजम्माल ने १९३२ में विदेशी कपडो की दुकानों के सामने धरना दिया, आदि अनेक महान महिलाओं ने गाँधी की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया।

गाँधी ने महिलाओं को नई सामाजिक जिम्मेदारियां जैसे छुआछूत हटाना, साम्प्रदायिकता का विरोध आदि सौंपी। उन्होने महिलाओं के सजने संवरने के आभूषणों को अर्थात् व्यक्तिगत संपत्ति जेवरों को हरिजन उत्थान तथा स्वदेशी आंदोलन के लिये माँगा। इस प्रकार जेवर पहनने, साज श्रृंगार करने की विश्वव्यापी संस्कृति पर प्रहार किया। उनकी आदर्श स्त्री में उन सभी गुणों का समावेश था जो तत्कालीन भारतीय समाज को नयी दिशा में ले जाने के लिये आवश्यक थे। सीता की शक्ति के

सामने महाबली रावण भी निस्सहाय हो जाता था। भारतीय स्त्रियों को भी सीता की भाँति मजबूत होने की राय उन्होने दी। अबला होने की बजाय उनको द्रोपदी की तरह निर्भर और स्वतंत्र मानसिकता वाली होना चाहिये जो भीम से भी अपनी इच्छानुसार काम करा सकती थी।

नमक सत्यागृह तक गाँधी ने महिलाओं के लिये घर की चारदीवारी में रहकर ही राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के कार्यक्रम रखे थे। नमक सत्यागृह के समय महिलाओं ने अपने अधिकारो व कर्तव्यों के प्रति जाग्रत होते हुए पुरूषों के बराबर भूमिका की माँग रखी और गाँधी को मजबूर होकर मानना पड़ा।

गाँधीजी ने महिला नेताओं को प्रेरित किया कि उन्हें सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकारों के लिये कानून बनाने के लिए काम करना चाहिये। सन् १९२६ में 'अखिल भारतीय महिला परिषद' की स्थापना की गयी। सन् १९२८ में बाल विवाह निरोधक कानून पारित हुआ। 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' अहमदाबाद से दांडी तक १९३० में २४० मील की दांडी यात्रा से शुरू हुआ। नमक सत्यागृह में बड़ी संख्या में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। सन् १९३० में महिलाओं को पुलिस दमन का सामना करना पडा। सन् १९२० में विकसित गाँधीवादी नारीवाद १९३० के दशक तक एक वृहद नारीवाद का आकार ले सका।[१४]

किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गाँधी इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे इसलिये उनका मानना था कि विकास की धारा से यदि महिलाओं को नहीं जोड़ा गया तो विकास की परिकल्पना कभी साकार नहीं हो सकेगी। हम देखते है कि गाँधी के आगमन के साथ स्त्री मुक्ति का प्रश्न भारत की आजादी के प्रश्न के साथ जुढ़ गया। स्वराज प्राप्ति के संघर्ष में उन्होनें महिलाओं को पुरूषों के समान भाग लेने की अपील की। उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में विभिन्न वर्गों एवं धर्मों तथा जातियों की महिलाओं ने भाग लिया। जस्टिस रानाडे ने कहा था कि 'हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में महिलाओं के हित में जितना काम कर पायेगें महात्मा गाँधी एक दिन में कर देते है।' इसी आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते है कि महिलाओं को इस मुकाम पर पहुँचानें में इतने तेज कदम चलने वाले बापू का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की महिलायें आज जिस मुकाम पर है उन्हें इस मुकाम पर लाने में महात्मा गाँधी की अप्रतिम भूमिका रही है। उनका मानना था कि स्त्रियों का उद्धार स्त्रियों के हाथों ही हो सकता है।

संदर्भ-

१. रेखा कस्तावर, स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ - ७४

२. सत्या एम. राय,(सं.), भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली

विश्वविद्यालय, भारत २००९, पृ.६५७

३. डॉ. के.एम. मालती, स्त्री विमर्शः भारतीय परिप्रेक्ष्य, वाणी प्रकाशन, पृ. ४७

४. साधना आर्य(सं.), नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय, दिल्ली,

२०१६, पेज नं. १६७।

५. मेरे सपनों का भारत, पृ. १०२

६. वही, पृ. १११

७. स्त्री विमर्शः भारतीय परिप्रेक्ष्य, पूर्वोक्त, पृ. ४७

८. सुजाता, बापू और स्त्री, सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी, जून २०१२, पृ. ९१

९. हरिजन, २३.०५.१९३६

१०. बापू और स्त्री, पूर्वोक्त, पृ. १३०

११..यंग इंडिया,१७.१०.१९२९

१२. हरिजन, २४.०२.१९४०

१३. यंग इंडिया १९२०

१४. वही, पृ. १४५